न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 155/2019

1. रामनिवास पुत्र स्व. श्री बनवारी जाति मीणा, निवासीः ग्राम मुंडियागढ, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
2. ललिता पत्नि रामनिवास जाति मीणा, निवासीः मुंडियागढ, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रवण पुत्र स्व. श्री बनवारी जाति मीणा, निवासीः मुंडियागढ, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
2. पूरणमल पुत्र स्व. श्री बनवारी जाति मीणा, निवासीः मुंडियागढ, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
3. मनीषा पुत्री स्व. श्री बनवारी पत्नि मामराज जाति मीणा, निवासीः मुंडियागढ, हाल निवासीः हरसोली, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
4. मीरा पुत्री बनवारी पत्नि प्रभुदयाल जाति मीणा, निवासीः मुंडियागढ, हाल निवासीः हरसोली, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
5. कैलाशी पुत्री बनवारी जाति मीणा, निवासीः मुंडियागढ हाल निवासीः रांकडी सोडाला तहसील व जिला जयपुर।
6. तहसीलदार किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.03.2019 न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 15/2019 उनवानी श्रवण बनाम पूरणमल व अन्य अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री रामसिंह एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री सीताराम कुमावत एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1
श्री धर्मराज वर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 ल. 5
श्री जी.एल. मीना एडवोकेट
राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांकः 17/03/2020

—ः निर्णय ः—

1. अपीलान्ट्स की ओर से एक अपील न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर के प्रार्थना पत्र संख्या 15/2019 बउनवानी श्रवण बनाम पूरणमल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.03.2019 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जो कि स्व. बनवारी पुत्र जमनलाल के जांयदा संताने है। खसरा नंबर 232 रकबा 16 बीघा वाके ग्राम मुंडियागढ, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसके वर्तमान में खसरा नंबर 387/232 रकबा 4 बीघा, खसरा नंबर 232 रकबा 4 बीघा, खसरा नंबर 386/232 रकबा 8 बीघा के रूप में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज की हुई है उपरोक्त आराजीयात पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता स्व. बनवारी लाल बजमाने बुजुर्गान के पर्चा सेटलमेन्ट के पूर्व से काबिज काश्त चले आ रहे थे जिनकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 अपने-अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। जागीर के समय बनवारी लाल काबिज काश्त थे तथा आराजीयात का लगान जरिये लटाई जागीरदार श्री सरदार कंवर व विक्रम सिंह को अदा करते आ रहे थे तथा काश्तकारी अधिनियम लागू होने एवं पर्चा सेटलमेन्ट जारी होने से पूर्व बनवारीलाल बुजुर्गान के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा वरवक्त पर्चा बनवारी लाल बतौर खातेदार काबिज काश्त थे। पर्चा सेटलमेनट बनवारीलाल जी के नाम जारी होना चाहिये था मगर सहवन से पर्चा जयसिंह पुत्र बेरीसाल सिंह ठिकाना कलवाडा के नाम गलत जारी हो गया जो बनवारी जी के अधिकारों के विपरीत हुआ इस संबंध में एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी बनवारीलाल जी ने पेश किया। बनवारी द्वारा पेश किये गये दावे में बनवारी का अनपढ होने का अप्रार्थी संख्या 5 ने नाजायज फायदा उठाते हुये बनवारी लाल का मुगालते में रखकर दावे में बनवारी जी के साथ साथ स्वयं का भी कब्जा दर्शाते हुये प्रार्थी संख्या 2 कायम हो गया जबकि अप्रार्थी संख्या 5 का पर्चा सैटलमेन्ट के समय जन्म भी नहीं हुआ था ऐसे में उसका कब्जा काश्त पर्चा सैटलमेन्ट के समय कैसे होता। अप्रार्थी संख्या 5 का जन्म संवत् 2017-2018 अर्थात सन् 1960 में हुआ है तो अप्रार्थी संख्या 5 का सैटलमेन्ट के समय से चला आना संभव नहीं है। वास्तविकता यह है कि विवादित भूमि पर एकमात्र कब्जा काश्त प्रार्थी के पिता बनवारी पुत्र जमनलाल जी का ही चला आ रहा था तथा अप्रार्थी संख्या 5 जो कि एक चालाक किस्म का व्यक्ति होने से तथा बनवारी पुत्र जमनलाल का बडा पुत्र होने से तथा बनवारी पुत्र जमनलाल के अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाते हुये बनवारी लाल के साथ वादी/प्रार्थी बनकर वाद पेश करवा लिया जो दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो गया था। अप्रार्थी संख्या 5 ने दिनांक 11.03.2011 को नया दावा बनवारीलाल व स्वयं अप्रार्थी संख्या 5 वादी बनते हुये पेश कर दिया जिसमें वादी/प्रार्थी व अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 को जानबूझकर पक्षकार कायम नहीं किया और न्यायालय को मुगालते में रखते हुये उक्त दावे में प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने आपको 1/2 हिस्से का तथा बनवारी लाल को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में उक्त डिक्री के आधार पर अंकन करवा लिया। अप्रार्थी संख्या 5 की उक्त आराजीयात संपूर्ण को अपने नाम करवाने की बदनियति शुरू से ही रही थी तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को उनके हक व अधिकारां से वंचित करना चाहता था जिसके चलते प्रतिवादी संख्या 5 ने एक वसीयत दिनांक 28.03.2012 को अपनी पत्नि प्रतिवादी संख्या 6 के नाम स्व. बनवारीलाल से करवा दी जिस वसीयत में उक्त विवादग्रस्त आराजीयात को बनवारीलाल की स्वअर्जित आराजीयात बताकर प्रतिवादी संख्या 6 के नाम करवायी गयी है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 ने चालाकी से उक्त वादग्रस्त आराजीयात पहले 1/2 हिस्सा जरिये डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

अपने नाम करवा लिया और बाद में बनवारीलाल के 1/2 हिस्से को अपनी पत्नि प्रतिवादी संख्या 6 के नाम करवाकर संपूर्ण आराजीयात अपने पति पत्नि के नाम ही दर्ज करवाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को उनके वैधानिक हक व अधिकारों से वंचित किया जिसकी जानकारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को नहीं होने दी गई थी। प्रतिवादी संख्या 5 ने 1/2 हिस्से की डिक्री व अपनी पत्नि प्रतिवादी संख्या 6 के नाम करवाई गई वसीयत वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के हक व अधिकारों के विरूद्व बातिल व बेअसर होने से शून्य है जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजीयात संपूर्ण बनवारीलाल के कब्जे काश्त की थी जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 का केवल मात्र 1/6 हिस्सा ही बनता था चूंकि बनवारीलाल के समय से ही वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त रूप से हक व हिस्सा चला आ रहा है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् भी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 समान रूप से वादग्रस्त आराजीयात को काश्त करते आये है जब प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा वाद पेश कर वादग्रस्त आराजीयात को अपने नाम डिक्री करवाने व गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 5 ने वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से की वसीयत मृतक बनवारीलाल से करवा ली तो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने बनवारीलाल व प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में की गई डिक्री के विरूद्व अपील राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत की तथा अपील के दौरान बनवारीलाल की मृत्यु हो गई। उक्त वादग्रस्त आराजीयात बनवारीलाल की पैतृक होने से उसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का भी समान हक व हिस्सा निहित होने से अपने अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा भी अप्रार्थीगण के विरूद्व प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थ संख्या 5 व 6 की नियत में फितूर होने से तथा संपूर्ण आराजीयात पर स्वयं का कब्जा करने की गरज से अप्रार्थी संख्या 5 व 6 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को उनके हक व अधिकार की आराजीयात से बेदखल करने के लिये कुछ भू माफिया गिरोह के लोगो को लेकर वादग्रस्त आराजीयात पर आये और आराजीयात दिखाकर बेचान करने का सौदा करने लगे जब प्रार्थी ने उनको ऐसा करने से मना किया तो अप्रार्थी संख्या 5 व 6 ने प्रार्थी को धमकी दी कि वह संपूर्ण आराजीयात को बेचान करके प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को बेदखल कर भू–माफिया लोगो को कब्जा करवा देगे जिसके कारण प्रार्थी को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 ने वादग्रस्त भूमि संपूर्ण का दीगर व्यक्ति को बेचान कर प्रार्थी को उसके हक व अधिकार व हिस्से की भूमि से बेदखल कर कब्जा करवा दिया तो प्रार्थी को असहनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं होगा तथा अनावश्यक कानूनी पेचेदेगीया उत्पन्न हो जावेगी ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 5 व 6 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रथमदृष्टया केस व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। अंत में अनुतोष चाहा है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ग्राम मुंडियागढ, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान के खसरा नंबर 387/232 रकबा 4 बीघा, खसरा नंबर 232 रकबा 4 बीघा, खसरा नंबर 386/232 रकबा 8 बीघा में प्रार्थी को उसके 1/6 हिस्से से बेदखल नहीं करे। आराजी को बेचान, खुर्द बुर्द इत्यादि ना करे एवं ना अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करावे। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन आदेश दिनांक 29.03.2019 के माध्यम से अप्रार्थी संख्या 5 व 6 को विवादग्रस्त आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि आराजीयात के खातेदार बनवारीलाल द्वारा अपीलान्ट संख्या 2 के हक में निष्पादित वसीयत के आधार पर अपीलान्ट संख्या 2 खातेदार काश्तकार है इस कारण अपीलान्ट के विरूद्व एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा किसी भी प्रकार से मेन्टेलेबल नहीं है। विधिनुसार रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना ही जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस कारण अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2019 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट्स ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि अपीलान्ट्स द्वारा गलत व विधि विरूद्व तरीके से बनवारीलाल से विवादग्रस्त आराजीयात की वसीयत निष्पादित कर आराजीयात अपने नाम करवाई है जो कि रेस्पोडेन्ट के खातेदारी अधिकारों के विरूद्व प्रारंभ से ही शून्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के हितों की रक्षार्थ दिनांक 29.03.2019 को विधि अनुसार सही आदेश पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इस कारण अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि प्रार्थी/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के घोषणा बाबत वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमें अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.03.2019 को आदेश पारित कर अप्रार्थी संख्या 5 व 6 को विवादग्रस्त आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के संबंध में अपीलान्ट संख्या 1 रामनिवास व उनके पिता बनवारी द्वारा आराजीयात की घोषणा बाबत दावा संख्या 41/2011 उनवान बनवारी लाल व अन्य बनाम सुरेन्द्र सिंह प्रस्तुत किया गया था जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 03.08.2011 को अपीलान्ट संख्या 1 रामनिवास व उसके पिता को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। निर्णय दिनांक 03.08.2011 की प्रति को देखने से पाया गया कि वादीगण बनवारीलाल व रामनिवास के वाद पत्र में उक्त विवादग्रस्त आराजीयात को वादीगण द्वारा पर्चा सेटलमेन्ट से पूर्व अपने बुजुर्गान के समय से ही काबिज काश्त किये जाने के तथ्य वर्णित किये गये है जबकि उक्त वाद पत्र संख्या 41/2011 में वादी संख्या 2 रामनिवास की उम्र वर्ष 2011 में रामनिवास द्वारा 54 वर्ष अंकित की गई है जिसके आधार पर वादीगण संख्या 2 रामनिवास का जन्म पर्चा सेटलमेन्ट वर्ष 1955 संवत् 2012 के बाद होना पाया जाता है

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

जिससे पर्चा सेटलमेन्ट के समय वादी संख्या 2 रामनिवास का भूमि पर किस प्रकार कब्जा था, के तथ्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित घोषणा के वाद में निर्णित होना अभी शेष है। वादीगण द्वारा वादपत्र में उक्त विवादग्रस्त आराजीयात बुजुर्गो के समय से काबिज काश्त होने के कथन भी किये गये है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार ऊपर वर्णित तथ्यों के निराकरण से पूर्व प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में पाया जाता है एवं यदि अपीलान्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से भूमि के बेचान एवं यथास्थिति रखने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भूमि के खुर्द बुर्द होने की संभावना है जिससे विवाद की बाहुल्यता उत्पन्न होगी एवं रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है। सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को वाद के अंतिम निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2019 को वाद के अंतिम निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner